

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2011

विषय:- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न दावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-एस0ई0-1987/दस-10-बीमा-14/08, दिनांक 06-1-2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01-03-2011 से प्रदेश के ऐसे समस्त अधिकारियों जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे रू0 5400/- से अधिक है, के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का निस्तारण उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। इस व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-2 (1) एवं (2) में अन्य व्यवस्थायें लागू की गई हैं जिसके अनुसार रू0 5400/- से अधिक ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के मासिक अभिदानों के कटौतियों के विवरण व्यक्तिगत लेजर तैयार करने हेतु अधिकारियों के नाम, उनके संवर्ग तथा विभाग का उल्लेख करते हुये प्रदेश कोषागारों से सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। इसी प्रकार जी0पी0एफ0 नम्बरको आई0डी0 नम्बर के रूप में प्रयोग में लाते हुये कम्प्यूटर के द्वारा लेजर तैयार किया जाना है। उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-2 के कार्यान्वयन हेतु उल्लिखित शासनादेश दिनांक 06-01-2011 के क्रम में निम्न व्यवस्थायें भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

2- प्रदेश के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा रू0 5400/- से अधिक ग्रेड पे प्राप्त करने वाले अधिकारियों के जी0आई0एस0 शिड्यूल (संलग्नक "क") पर प्रत्येक वेतन देयक के साथ संबंधित कोषागारों को प्रेषित किये जायेंगे एवं प्रत्येक कोषागारों द्वारा उक्त जी0आई0एस0 शिड्यूल को प्रत्येक माह बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखों के साथ उ0प्र0 राज्य

कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को भेजना सुनिश्चित किया जाय। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जो जी०आई०एस० शिड्यूल कोषागारों को वेतन देयकों के साथ प्रेषित किये जाये उनमें जी०आई०एस० आई०डी० के रूप में संबंधित अधिकारी का जी०पी०एफ० नम्बर को भी दर्शाया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें जी०पी०एफ० नम्बर आवंटित नहीं हैं और एन०पी०एस० नम्बर है उनमें एन०पी०एस० नम्बर को जी०आई०एस० आई०डी० के रूप में जी०आई०एस० शिड्यूल में दर्शाया जायेगा किन्तु ऐसे मामले जिनमें अधिकारी का जी०पी०एफ० नम्बर एवं एन०पी०एस० नम्बर दोनों ही नहीं हैं उनमें जी०आई०एस० आई०डी० के स्थान पर **NEW** अंकित करते हुए जी०आई०एस० शिड्यूल संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। सामूहिक बीमा निदेशालय में समस्त कोषागारों द्वारा प्रत्येक माह प्रेषित किये जाने वाले ऐसे जी०आई०एस० शिड्यूल में जिन अधिकारियों के नाम के आगे जी०आई०एस० आई०डी० के स्थान पर **NEW** अंकित है, उनको सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा जी०आई०एस० आई०डी० के रूप में एक **Unique Number** आवंटित करते हुए संबंधित कोषागार एवं आहरण वितरण अधिकारी को निदेशालय द्वारा आवंटित नई जी०आई०एस० आई०डी० के संबंध में सूचित किया जायेगा जिसे आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा भविष्य में उक्त अधिकारी के सन्दर्भ में जी०आई०एस० आई०डी० के रूप में जी०आई०एस० शिड्यूल में दर्शाते हुए कोषागारों को जी०आई०एस० शिड्यूल प्रेषित किये जायेंगे। ऐसे अधिकारी जिन्हें जी०आई०एस० आई०डी० के लिए निदेशालय द्वारा उपरोक्तानुसार आई०डी० आवंटित की गयी है उनको यदि आगे चलकर एन०पी०एस० संख्या आवंटित हो जाती है तो इसकी सूचना संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार एवं उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को सूचित करना होगा एवं प्रत्येक माह प्रेषित किये जाने वाले जी०आई०एस० शिड्यूल में सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा आवंटित जी०आई०एस० आई०डी० के स्थान पर एन०पी०एस० नम्बर को दर्शाया जायेगा। ऐसे अधिकारी जिनकी ग्रेड पे रू० 5400/- से अधिक है उनकी ग्रेड पे रू० 5400/- तक की सेवा अवधि में काटे गये बीमा संबंधी अभिदानों का विवरण संलग्नक "ख" पर कार्यालयाध्यक्ष/समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित करके प्रथम बार सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किया जाना होगा जिसका उपयोग सामूहिक बीमा निदेशालय में उक्त अधिकारियों के कम्प्यूटर पर लेजर तैयार करने में किया जायेगा।

3- उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय स्तर पर संलग्नक "क" प्रारूप पर ही कम्प्यूटर द्वारा अधिकारियों के मासिक अभिदानों के कटौतियों के विवरण लेजर पर तैयार किये जायेंगे।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि स्वयं आहरण अधिकारियों के मासिक अभिदानों की कटौतियों के व्यक्तिगत लेजर बीमा निदेशालय स्तर पर रखे जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-एस०ई०-1988(1)/दस-09-बीमा-14/08 दिनांक 06-01-2011 के साथ संलग्न प्रारूप के स्थान पर उपरोक्त प्रारूप संलग्नक-क तथा संलग्नक-ख पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं आहरण अधिकारियों के दावों के प्रेषण एवं उनके निस्तारण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-एस०ई०-684/दस-2002-61(ए)/99, दिनांक 27-3-2002 में निर्धारित व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेगी तथा स्वयं आहरण अधिकारियों के दावों के प्रेषण एवं उनके निस्तारण मात्र हेतु उल्लिखित शासनादेश एस०ई०-1987/दस-10-बीमा-14/08 दिनांक 06-1-2011 के प्रस्तर-2(1) एवं (2) की व्यवस्थायें लागू नहीं होगी।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

संख्या-एस०ई०-400(1)/दस-2011, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3- श्री राज्यपाल का सचिवालय।
- 4- विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, उ०प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।
- 7- भाषा (प्रकाशन) अनुभाग।
- 8- तकनीकी निदेशक एन०आई०सी० राज्य इकाई, उ०प्र०, 6वाँ तल, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

प्रारूप-ख

1. आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय का पूर्ण पता तथा कोड सं०.....
.....
.....
2. संबंधित कोषागार कार्यालय का पता तथा कोड सं०.....
.....
3. अधिकारी का नाम :-.....
4. पिता/पति का नाम :-.....
5. पदनाम :-.....
6. जन्मतिथि :-.....
7. वेतनमान/वेतनबैण्ड/ग्रेड पे :-.....
8. जी०पी०एफ० नं०
9. जी०पी०एफ० नं०के अभाव में एन०पी०एस० नं० :-.....
10. सेवा में आने की तिथि :-.....
11. योजना में प्रवेश की तिथि :-.....
12. कटौतियों का विवरण :-

- (अ) रू० 05 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (ब) रू० 10 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (स) रू० 15 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (त) रू० 20 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (थ) रू० 30 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (द) रू० 40 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (ध) रू० 60 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (न) रू० 80 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (य) रू० 120 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (र) रू० 200 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक
- (ल) ग्रेड पे 5400 से अधिक रू० 400 प्रतिमाह अभिदान देने की अवधि.....से.....तक

नोट:- कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त उपरोक्त सूचना इस निदेशालय में कम्प्यूटर पर अधिकारियों के लेजर में रखा जायगा।

संलग्नक-क

सामूहिक बीमा योजना के मासिक कटौतियों का विवरण

कोषागार का नाम..... कोषागार कोड संख्या.....

आहरण वितरण अधिकारी का पद नाम आहरण वितरण अधिकारी कोड संख्या.....

कार्यालय का नाम..... एवं पता.....

लेखाशीर्षक.....

क्रम सं०	पुलिस/नान पुलिस	कार्मिक का नाम पदनाम	जी०पी०एफ० संख्या / एन०पी०एस० संख्या / (जी०पी०एफ० एवं एन०पी०एस० संख्या के अभाव में NEW लिखा जाय)	ग्रेड पे	संवर्ग का नाम	अभिदान का माह	मासिक अभिदान की दर		
							बीमा निधि	बचत निधि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर.....

आहरण वितरण अधिकारी का नाम.....